(ग) गुजरात में बड़ौदा और अंकलेश्वर स्थित पेट्रो-रसायन एककों का विस्तार करने की क्या योजनायें हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एच० फुरदस्वामी) : (क) फिलहाल, सरकारी क्षेत्र में तीन पेट्रोकेमिकल कम्प्लैक्स विद्यमान हैं (अर्थात् दो एरोमेटिक्स और एक ओलीफिनिक) और संयुक्त क्षेत्र में कोई नहीं है।

(ख) और (ग) नागोथाणे में महाराष्ट्र गैस क्रैकर कम्प्लैक्स, जो इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, में इथाइलीन की क्षमता को 3,00,000 टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4,00,000 टन प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है। पालिप्रापिलीन और पालिबुटाडी रबड़ और बुटाडीन एक्सट्रेक्शन को चुदुड़ बनाने के लिए बड़ौदा में आई-पी सी एल की क्षमताओं का विस्तार करने की योजनायें भी हैं।

देश में विद्युत उत्पादन

1659. **श्री मोजा इर्शादबेग** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है तथा उनकी कुल वार्षिक उत्पादन लागत कितनी है ; और

(ख) आगामी पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री, पार्थ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) 12-3-90 की स्थिति के अनुसार देश में ताप, न्यूक्लीय एवं जल विद्युत केन्द्रों की कुल मिलाकर विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 61,000 मेगावाट है। 1987-88 के दौरान ताप तथा जल विद्युत केन्द्रों के विद्युत उत्पादन को मिलाकर इसकी उत्पादन-लागत लगभग 42.5 पैसे/किलोवाट आवर बैठती है।

(ख) आठवीं योजना में संसाधनों एवं अन्य निवेशों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए अनन्तिम रूप से लगभग 38369 मेगावाट नई विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़े जाने की आयोजना की परिकल्पना की गई है।

किसी उद्योग को रुग्ण घोषित किये जाने सम्बन्धी नियम तथा निर्देश

1660. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किसी उद्योग को रुग्ण घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम और निर्देश क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकार उनमें संशोधन करने का विचार रखती है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस०आई० सी०ए०) की परिभाषा के अनुसार एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी वह औद्योगिक कंपनी (7 वर्ष से कम समय के लिए पंजीकृत नहीं की जाती) है जिसकी संचित हानियां किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में उसके सम्पूर्ण मूल्य के बराबर अथवा उससे अधिक हैं और जिसे उसी वित्तीय वर्ष तथा ऐसे वित्तीय वर्ष से एकदम पहले वित्तीय वर्ष में नकद हानियां भी उठानी पड़ी है। अधिनियम के प्रावधान सरकारी कंपनियों, लघु उद्योग एककों तथा सहायक एककों पर लागू नहीं होते हैं। समुद्री जहाजों तथा बिजली द्वारा चालित अन्य जलयानों से संबंधित अनुसूचित उद्योग पर भी ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को सलाह दी है कि एक लघु औद्योगिक एकक को "रुग्ण" माना जाना चाहिए यदि इसकी संचित हानियां किसी भी लेखा वर्ष के अंत से एकदम पहले जांच लेखा वर्षों में इसके अधिकतम मूल्य के 50% के बराबर अथवा अधिक हों। अत्यंत छोटे/विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के मामले में, यदि वित्तीय विवरण प्राप्त करना कठिन

को इस संबंध में स्पष्ट नीति की घोषणा करनी चाहिये ताकि भविष्य में हम इनके प्रति आशावान हो सकें और इस देश में जो लोग हैं उनको घरों में नौकरी करने के लिए बाध्य न होना पड़े। हमारे देश में गरीबी है। इस देश में आधे से ज्यादा आबादी जो है वह गरीबी की रेखा से नीचे रहती है। उनके पास साधन नहीं हैं, शिक्षा के साधन नहीं हैं, इसलिए मजबूर होकर उन्हें छोटे-छोटे काम करने पड़ते हैं। इसलिए वास्तविक रूप से सरकार को ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए ताकि भविष्य में उन्हें इस प्रकार के काम को करने को मजबूर न होना पड़े। लेकिन जब तक वास्तव में वे नहीं करते हैं तब तक कम से कम उनकी स्थिति में सुधार करने का काम करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि मंत्री जी जब अपना उत्तर देंगे तो हम लोगों की भावना को स्वीकार करने का काम करेंगे।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आन्ध्र प्रदेश) : जनाब वाइस चेयरमैन साहब, हमारे सीनियर मेंबर जनाब बापू कालदाते ने जो डोमेस्टिक वर्कर्स कंडीशंस आफ़ सर्विस बिल 1989 पेश किया है, मैं इसकी भरपूर ताईद करता हूं। यह बिल हमारे देश के लिए वक्त की अहमतरीन जरूरत थी। हमारे मुल्क में लाखों मर्द, औरतें और बच्चे ऐसे हैं जो डोमेस्टिक वर्कर की हैसियत से काम करते हैं और उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। न उनकी कोई शरारत मुलाजमत है न कोई सर्विस कंडीशन है। इस वजह से इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इस किस्म का बिल हमारे देश में पाया जाय ताकि इनके सर्विस कंडीशन में तायुन हो सके। देखा यह गया है कि यह वर्कर हर किस्म का घरेलू काम करते हैं। जैसे इस बिल के स्टेटमेंट आफ़ आब्जक्टिव्स एंड रीजन्स में कहा गया है, यह बिलकुल सच है कि यह लोग घर के मुखतलिफ़ काम करते हैं। ये खाना पकाते हैं, घर की सफ़ाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, खिलाते भी हैं और बच्चों को स्कूल ले जाते हैं। ऐसे मुलाजमीन खासतौर पर 24 घंटे में 18 घंटे तक काम करते हैं। मगर इसके बावजूद न तो इनको वेजेज का तायुन है और न उनको तामील दी जाती है। उनको हफ्ते में एक दफ़ा न तातील दी जाती है और न उनके बच्चों को कोई सहूलियत मुहैया की जाती है। इस वजह से यह जरूरी है कि उसके वक्त का तायुन किया जाए। जैसे हमारे कारखानों के मजदूर 24 घंटों में से सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं। इसी तरह से हमारे दिहाती मजदूर भी जो खेत में काम करते हैं उनके लिए भी वक्त का तायुन किया गया है। लेकिन इनके लिए कोई वक्त का तायुन नहीं किया गया है। इस वजह से यह जरूरी है कि इनके लिए भी वक्त का तायुन किया जाए। ये 8 घंटे से ज्यादा काम न करें और हफ्ते में एक दफ़ा इनको तातील मिले ताकि इनकी जो घरेलू जरूरियात हैं उन जरूरियात को ये पूरा कर सकें। और फिर इनका वाजिब मेहनताना क्या होना चाहिए। कई जगहों पर देखा गया है कि सिर्फ खाने पर इस किस्म की मुलाजमत करते हैं और एक पैसा भी अलावा तनख्वाह उनको नहीं दिया जाता है। कितने अफ़सोस की बात है। आज हमारे मुल्क को आजाद हुए 42 साल हो रहे हैं मगर इन 42 सालों में इनकी क्या उजरत होनी चाहिये, क्या मजदूरी होना चाहिये, क्या पेंशन होना चाहिये, इसका तायुन नहीं किया गया है। जरूरत इस बात की है कि इसका तायुन किया जाए, क्या मिनिमम वेज होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि उनके लिए न तो ग्रेच्युटी का इन्तजाम है, न प्रोविडेंट फंड का इन्तजाम है और न बोनस का इन्तजाम है, न उनके लिए मेडिसले हैं। जिस तरह से कारखानों में हमारे मजदूर काम करते हैं उनके लिए तमाम फेसिलिटीज रखी गई हैं, डोमेस्टिक वर्कर्ज को ही इन से क्यों महरूम रखा गया है। मैं यह कहना चाहता हूं यह भी अहमतरीन जरूरत है उनके लिए, इसलिए उनको ग्रेच्युटी दी जाए, उनको बोनस दिया जाए, उनके प्रोविडेंट फण्ड वगैरह का इन्तजाम किया जाए। सब से बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे दुनियां तरक्की करती जा रही है, वैसे वैसे हमारे मजदूरों का ख्याल रखा जा रहा है। सब से अहम बात यह है कि उनकी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखें। चाहे कोई भी हकमत हो अपने शहरियों